



अजीब से दिखने वाले स्तनपायी जीव ताकिन एल्पाइन व एशिया के पहाड़ों की घाटियों में विचरण करते हैं। विभाजित खुरों के कारण इन जीवों को खड़ी चढ़ाई व ऊबड़-खाबड़ भागों में चलने में मदद मिलती है। भूटान, म्यानमार, उत्तरी भारत, तिब्बत, सेंट्रल व दक्षिणी चीन में पाए जाने वाले ताकिन की चार उपप्रजातियां हैं। भूटान ताकिन, गोल्डन ताकिन, मिशमी ताकिन और शिचुआन ताकिन। ताकिन मौसम के अनुसार उपलब्ध पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं। हिरण जैसी नाक, छोटी मजबूत टांगें व मजबूत शरीर वाले ताकिन के सींग विल्डबीस्ट जैसे होते हैं। हरेक उपप्रजाति का फर अलग होता है पर सबसे सुंदर फर गोल्डन ताकिन का है। नाम के अनुरूप इनका फर सुनहरे रंग का होता है। ताकिन का उल्लेख लोककथाओं में भी मिलता है। समझा जाता है कि, ग्रीक पौराणिक कथाओं का गोल्डन प्लीस (भेड़ का ऊन) इन्हें से प्रेरित है। ताकिन पहाड़ी भागों में रहते हैं और भोजन की तलाश में ऊपर-नीचे चढ़ते-उतरते रहते हैं। गर्मी में जब भोजन पर्याप्त होता है उस समय ये प्रजनन करते हैं। उस समय ताकिन के एक झुण्ड में 300 तक सदस्य होते हैं पर सर्दी में ये जानवर 15 से 30 सदस्यों के छोटे समूहों में बंट जाते हैं। नर अपने पैरों, छाली व चेहरे पर अपने मूत्र का छिड़काव करते हैं जो उनके दबदबे का संकेत होता है। मजबूत भारी शरीर के कारण इन्हें परभक्षी का खतरा कम होता है। स्नोलेपर्ड अवश्य ताकिन के बच्चों का शिकार करते हैं और लैंपर्ड, टाइगर, भेड़िये एशियाई काला भालू यदा कदा ताकिन पर हमला कर देते हैं। खतरा भांपते ही ताकिन खांसी जैसी आवाज निकालकर झुंड को चेतावनी देते हैं जिससे सभी सदस्य छुप जाते हैं। इन्टरनेशनल यूनिवर्सल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार इसकी सभी उपप्रजातियां बेहतरीन हैं और हालिया रिसर्च के अनुसार, इनकी रेंज, जितनी सोची गई थी उससे छोटी हो सकती है।

संजीवनी केस में राज्य सरकार को तगड़ा झटका और गजेन्द्र सिंह को बड़ी राहत

राजस्थान हाई कोर्ट ने एस.ओ.जी. को कड़ी फटकार लगाई तथा चार्जशीट फाइल करने पर रोक लगा दी

जोधपुर/जयपुर 24 नवंबर (का.सं.)। संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) को कड़ी फटकार लगाई तथा चार्जशीट फाइल करने पर

ADMISSION CLOSING SOON
B.A.-LL.B.
LL.M.
with CS/RJS
Helpline : +91-8696218218
BIYANI LAW COLLEGE (Co-Ed.)

ऑटोमेटिक
कान की मशीनें
3500/- से शुरू
स्पीच थैरेपी
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
94602 07080

मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई 24 नवंबर (वार्ता) महाराष्ट्र में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा-टर्मिनल 2 को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है तथा इसे रोकने के एवज में बिकॉइन में 10 लाख डॉलर की मांग की गयी है।

■ पुलिस ने बताया कि, एक ई-मेल में एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को उड़ाने की धमकी दी गई है।

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद स्थानीय सहाय पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज करने के साथ ही मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल को भी सूचित किया गया।

■ इस केस में हाई कोर्ट ने गजेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी पर 13 अप्रैल को ही रोक लगा दी थी।

■ शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट में शेखावत के वकील ने कहा कि, एस.ओ.जी. (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने अगस्त 2019 में केस दर्ज किया था पर जांच अभी तक चल रही है, शेखावत का नाम ना तो अभियुक्तों में शामिल है और ना ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया।

■ शेखावत के अधिवक्ता ने कहा कि, उनके मुवकिल का नाम सिर्फ राजनैतिक द्वेष के कारण शामिल किया गया है, सरकार उन्हें फंसाना चाहती है।

रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से जोधपुर सांसद और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत मिली है, वहीं राजस्थान सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इस केस में 13 अप्रैल को हाईकोर्ट ने शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शेखावत की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.आर.बाजवा ने पैरवी करते हुए कहा कि एस.ओ.जी. ने

अगस्त 2019 में यह केस दर्ज किया था और साढ़े चार साल बाद भी जांच को पूरा नहीं किया है, क्योंकि राजनीतिक द्वेष के चलते राज्य सरकार शेखावत को गलत तरीके से फंसाना चाहती है। एसओजी ने कभी गजेन्द्र सिंह शेखावत को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। न ही पूर्व में दायर चार्जशीटों में कहीं शेखावत का नाम अभियुक्तों में शामिल किया गया। बाजवा ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर शेखावत की संजीवनी केस में संलिप्तता थी तो

एसओजी ने चार साल में कोई नोटिस क्यों नहीं दिया? कोर्ट ने यह भी पूछा कि फरवरी 2020 में चार्जशीट फाइल करने के तीन साल बाद फरवरी 2023 में दूसरे लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, जबकि उसमें शेखावत या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं था।

बाजवा ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक प्रतियोगिता के लिए सरकार विधानसभा चुनावों के बीच शेखावत को फंसाने का प्रयास कर रही है, जबकि इसी साल अप्रैल में राजस्थान सरकार के वकील हाईकोर्ट में यह भी कह चुके हैं कि शेखावत का किसी एफआईआर और चार्जशीट में नाम नहीं है।

गौरतलब है कि करीब 900 करोड़ रूपए के संजीवनी घोटाले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री शेखावत पर आरोप लगाकर पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया था। शेखावत शुरू से कह रहे हैं कि साढ़े चार साल में इस प्रकरण की जांच न तो राज्य की एसओजी ने पूरी की और न ही इसे सीबीआई को सौंपा जा रहा है। मुख्यमंत्री (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चिरंजीवी योजना का पैकेज चाहे 25 लाख रु. हो गया हो, पर प्रति लाभार्थी औसतन 23000 रूपए खर्च किए हैं सरकार ने

जितना खर्च चिरंजीवी पर वर्ष 2021-22 में हुआ, लगभग उतनी ही राशि इस वर्ष विज्ञापन पर खर्च हुई

वर्ष 2021-22 में प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों को 981 करोड़ रूपए के "क्लेम" का भुगतान किया गया, जबकि इस वर्ष 820 करोड़ रूपए विज्ञापनों पर खर्च हुए।

विचारणीय बात यह है कि, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्च हुआ लगभग उतनी ही राशि प्रचार-प्रसार पर खर्च हुई। क्या विज्ञापन और उपचार का बराबर का महत्व हो सकता है?

मुख्यमंत्री की वाह-वाही के लिए जारी किए गए विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर किए गए खर्च से की जाती है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने संवाद के जरिए इस वर्ष करीब 350 करोड़ रूपए के विज्ञापन जारी करे हैं जिनमें होर्डिंग्स भी शामिल हैं। वहीं डी.आई.पी.आर. द्वारा 70-100 करोड़ रूपए के अतिरिक्त विज्ञापन जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा डिजाइन बॉक्स एजेंसी की सेवाएं लेने के लिए 350-400 करोड़ रूपए और खर्च कर दिए गए हैं। यानि राज्य सरकार ने इस वर्ष करीब 800 करोड़ रूपए प्रचार-प्रसार पर खर्च किए हैं। यहां पाठकों को बता दे कि इन

विज्ञापनों की अधिकतर राशि कुछ 30-35 अखबारों, "डिजिटल प्लेटफॉर्म" और "सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स" पर की गई है। यहां हाथ भी उल्लेखनीय है कि 1.5 महीने पहले तक सभी विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री के चहरे को ही दिखाया जा रहा था। प्रचार-प्रसार और जमीनी हकीकत को तुलना इस तथ्य से भी की जा सकती है कि वर्ष 2021-22 में चिरंजीवी के तहत प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों ने मिलकर 981 करोड़ का क्लेम का भुगतान किया था। यानी पिछले वर्ष जितना भुगतान प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों को किया गया, लगभग उतना ही खर्च इस वर्ष प्रचार-प्रसार पर किया गया है। चिरंजीवी योजना में कम राशि

खर्च करना राज्य सरकार को केंजूसी का एक और उदाहरण है जिस कारण से प्राइवेट अस्पताल सरकारी योजनाओं से दूर भागते हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में चिरंजीवी योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से केवल 667 करोड़ रूपए के 'क्लेम' का भुगतान किया गया था। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना था कि यह आंकड़ा कम इसलिए था क्योंकि एक तो मेडिकल पैकेजों की दरें अत्यधिक महंगी रह गई थीं और इनका तय समय सीमा पर भी भुगतान नहीं होता था। प्राइवेट अस्पतालों को अपनी बात मनवाने के लिए ही राज्य सरकार 'राइट टू हेल्थ' (आर.टी.एच.) अधिनियम लेकर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

...ताकि अपाहिजों के प्रति हमदर्दी खत्म न हो जाये जनता में!

—विशेष प्रतिनिधि द्वारा—
जयपुर, 24 नवम्बर। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, एक व्यक्ति के पास बहुत सुन्दर घोड़ी थी, जिस पर सवार होकर वह पूरे गांव में इतराते हुए निकलता था। एक ईर्ष्यालु के मन में उस घोड़ी को हथियाने की बलवती इच्छा जागृत हुई। योजनाबद्ध तरीके से, एक अपाहिज का वेश धारण कर वह व्यक्ति, उस रास्ते पर निकल पड़ा जहाँ से घोड़ी का मालिक निकलने वाला था। उस "अपाहिज" ने आवाज देकर घुड़ सवार को रोका और कहा, "मेरी एक टांग नहीं है, मैं बहुत दूर से बैसाखी के सहारे चलता हुआ आ रहा हूँ, थक गया हूँ, कुछ देर तुम्हारी घोड़ी पर बैठ कर चल लूँ, तो बहुत आराम मिलेगा। तुम्हें दिल से आशीर्ष दूंगा।"

मालिक ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर उसका आग्रह स्वीकार कर लिया और "अपाहिज" को घोड़ी पर चढ़ा दिया। घोड़ी पर सवार होते ही अपाहिज ने अपना अपाहिज का वेश त्यागा और घोड़ी को सरपट दौड़ा कर ले जाने लगा। मालिक ने आवाज देकर उसको रोका और कहा, "मेरा भी एक आग्रह सुनते जाओ। जो भी तुमसे पूछे यह घोड़ी तुम्हारे पास कैसे आयी, तो सच्चा किस्सा उन्हें कभी मत बताना, कहना कि, घोड़ी के मालिक ने मित्रता

■ चुनाव की पूर्व संध्या पर गहलोत ने बड़ी लोक लुभावना "रियायतें" बांटी हैं, जिनका मकसद अगर वोट बटोरना मात्र है तो यह गरीब दलित और पिछड़ों का उपहास है।

■ लगता भी यही है कि, रियायतें सिर्फ चुनावी मकसद से दी गई हैं, क्योंकि चुनाव से मात्र कुछ माह पहले आनन-फानन में योजनाएं शुरू कर दी गईं, जबकि पर्याप्त बजट नहीं है।

■ अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो, जनता का विश्वास सरकार के वादों व नारों से उठ जाएगा जो लोकतंत्र के लिए बड़ी हानि होगा।

वशा यह घोड़ी मुझे दी है। कोई भी मुझसे पूछेगा तो, मैं भी यही जवाब दूंगा। क्योंकि जनता को अगर सही किस्सा मालूम हुआ तो जनता के मन में अपाहिजों के प्रति सहानुभूति खत्म हो जाएगी, अपाहिजों के प्रति विश्वास टूट जायेगा।" शर्मिन्दा होकर "अपाहिज" ने मालिक को उसकी घोड़ी लौटा दी। कुछ ऐसी ही कथा शिव पार्वती के बारे में कही जाती है। राम से युद्ध के समय रावण की आत्मा जीवन व मृत्यु के बीच झूल रही थी, बैचेना वे चाहते थे उनके अराधक भगवान शिव, जिनकी उन्होंने जीवन भर कठोर जप, तप, से

विश्वास व श्रद्धा हो। रावण ने गृहणियों के इस विश्वास को भारी चोट पहुंचाई है, साधु के रूप में गृहणी सीता का अपहरण करके। मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूँ, और मुक्ति पाने में कैसे मदद कर सकता हूँ।

पैलेस ऑन व्हील्स पर मेरे एक सहयात्री ने भी ऐसा ही एक किस्सा सुनाया। फ्रांस में पैलेस ऑन व्हील्स जैसी एक लाजरी ट्रेन पर एक अमेरिकी यात्री सफर कर रहा था, उसने बड़ी महंगी "वाइन" का ऑर्डर दिया। वेटर को। वेटर कुछ हिचकिचाहट के बाद "वाइन" लेकर आया और अमेरिकी यात्री ने वाइन की कीमत से कई गुना अधिक बड़ा नोट उसे पैमेन्ट के रूप में थमाया। वेटर ने कहा, अगर मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है, नया वेटर आकर आपसे पैमेन्ट ले लेगा। अगले स्टॉप पर। पर अमेरिकी यात्री ने दबाव डाल कर वेटर को बड़ा नोट लेने के लिये मजबूर किया। अगला स्टॉप आकर चला गया, पर, धारण कर सीता का अपहरण किया था। यह एक अक्षय्य अपराध है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। समाज में साधु की एक बड़ी पूज्य, प्रतिष्ठा है, वो क्षुधा तृप्ति के लिये, घर-घर जाकर, घर की मालकिन (गृहणी) से भिक्षा लेते हैं और गृहणी भी निर्भीक भाव से उसको भिक्षा देती है, उसका साधु के प्रति अटूट

उसने अमेरिकी यात्री से कहा, "मैं इस हड़बड़ी में इसलिये आया क्योंकि मैं एक विदेशी अमेरिकी टूरिस्ट पर यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पायलट की अपील को री-पोस्ट किया गहलोत ने

जयपुर, 24 नवम्बर (का.प्र.)। राजस्थान में मतदान से ठीक 1 दिन पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान की जनता के नाम पर एक अपील जारी करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया है और इस अपील को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल

■ सचिन पायलट ने राज्य की जनता से कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान करने की अपील की है।

एकस पर रीपोस्ट किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता यह बात देखना चाहती थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट क्या कभी एक साथ राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा मौका एक बार भी नहीं आया। दोनों नेता अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते नजर आए। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्रों पर जरूर दोनों नेता यदाकदा साथ नजर आए। इस बीच राजस्थान में चुनाव प्रचार बंद होने के बाद और मतदान से ठीक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिव कुमार के खिलाफ सी.बी.आई. जांच की अनुमति वापस ली कर्नाटक सरकार ने

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के खिलाफ सी.बी.आई. जांच के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अनुमति दी थी

—लक्ष्मण बैंकट कुची—
—राहुल दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। यह कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के लिए एक बड़ी राहत है। पिछली राज्य सरकार ने उनके खिलाफ लगे आय से अधिक सम्पत्ति रखने के केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टिगेशन (सी.बी.आई.) को हेंडओवर करने का निर्णय लिया था और वर्तमान राज्य मंत्रिमण्डल ने उक्त निर्णय को विधि सम्मत ना मानते हुए वापस ले लिया है।

सी.बी.आई. को केस सुपुर्द करने का राज्य मंत्रिमण्डल ने गुरुवार को लिया, जिससे इस केस को सी.बी.आई. को सौंपने की स्वीकृति को वापस लेने के लिए एक औपचारिक सरकारी आदेश जारी किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक सरकार ने इस मामले के तकनीकी पहलू का जिक्र करते हुए कहा कि बी.एस. येदियुरप्पा

■ मौजूदा सरकार ने कहा कि, पूर्ववर्ती सरकार ने अनुमति देते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था इसीलिए अनुमति वापस ली जाती है।

के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सी.बी.आई. को केस हेंडओवर करने की अनिवार्य स्वीकृति नहीं ली थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने केस को केंद्रीय एजेंसी को हेंडओवर करने की सिर्फ एक मौखिक अनुमति दी थी, लेकिन चूंकि शिवकुमार उस वक्त एक विधायक थे, इसलिए तय प्रक्रिया के अनुसार तत्कालीन स्पीकर से अनुमति ली जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने कहा कि, चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए

केंद्रीय एजेंसी को केस हेंडओवर करने का निर्णय विधि सम्मत ना होने के साथ ही अनुचित भी था। वर्ष 2013-18 के दौरान 74.23 करोड़ रूपयों की आय से अधिक सम्पत्ति रखने के कथित आरोप को लेकर सी.बी.आई. वर्तमान में शिवकुमार से पूछताछ कर रही है। मंत्रिमण्डलीय मीटिंग के दौरान जब मुद्दा चर्चा के लिए उठा, तब शिवकुमार संयोगवश उपस्थित नहीं थे। शिवकुमार ने अपना केस खारिज करवाने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार नहीं किया था। शिवकुमार ने इसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में पुनः अपील की जिसने पूर्ववर्ती आदेश व अनुमति पर जून 2023 में रट लगा दिया था। सी.बी.आई. ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने हाईकोर्ट की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'विश्व कप जीत का श्रेय नहीं लूट पाए मोदी'

—जाल खंबाता—
—राहुल दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को शुक्रवार को जयपुर हवाई अड्डे पर अकस्मात मुलाकात हो गई और उसने जो बताया

■ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि, उन्हें भाजपा के एक नेता ने बताया कि, विश्व कप जीत का फायदा उठाने के लिए भाजपा ने मोदी के पोस्टर बैनर छपवाए थे, जो वेस्ट हो गए।

उसे सुनकर वे हैरान रह गईं। उक्त भाजपा नेता ने सुप्रिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड कप वाले पोस्टर व होर्डिंग्स पूरे राजस्थान में लगाए जाने के लिए तैयार थे। अगर भारतीय टीम जीत जाती तो वर्तमान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)